Fixe Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 539]

No.

5391

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 2009/भाद्र 25, 1931

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2009/BHADRA 25, 1931

गृह यंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2009

सा.का.नि. 682(अ).—केन्द्रीय सरकार, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 75 के साथ पठित, धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में समूह 'क' के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्निलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 2009 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।
- 4. प्रारम्भिक गठन.—राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में पहले से कार्यरत ऐसे ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारियों के संबंध में, जो खुले विज्ञापन के माध्यम से भर्ती किए गए हैं, यह समझा जाएगा कि उन्हें अनुसूची में यथाअधिकधित शैक्षिक अर्हताओं, अनुभव और आयु संबंधी अपेक्षाओं के प्रतिनिर्देश से, विभागीय चयन समिति द्वारा पद के संबंध में उनकी उपयुक्तता निर्धारित किए जाने के अधीन रहते हुए, इन भर्ती नियमों अपेक्षाओं के प्रतिनिर्देश से, विभागीय चयन समिति द्वारा पद के संबंध में उनकी उपयुक्तता निर्धारित किए जाने के अधीन रहते हुए, इन भर्ती नियमों के निर्वधनानुसार सीधे भर्ती किए गए अभ्यर्थियों के रूप में, ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है। तथापि, राष्ट्रीय आपदा के निर्वधनानुसार सीधे भर्ती किए गए अभ्यर्थियों के रूप में, ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है। तथापि, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिकरण में उनकी नियुक्ति की तारीख वह तारीख होगी, जिसको वे विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव अर्जित करेंगे।
 - 5. निरर्हता.—वह व्यक्ति—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

- 6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

		अनुसूची			
पद का नाम पदों की वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद	सेवा में जोड़े गए	सीधे भर्ती किए जा	वाले व्यक्तिया
संख्या	1	अथवा	वर्षों का फायदा	के लिए आयु-सीमा	
		अचयन	, केन्द्रीय सिविल		
		पद्	सेवा (पेंशन)		
	THE PART		नियम, 1972 के		
			नियम 30 के		
a g		0 0 0 00	अधीन अनुज्ञेय है		
			0 10 200 00	TO 5 11 100 40 1	
	- 40mm.		या नहीं		
(1) (2)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1. सलाहकार एक* (2009) समूह 'क'	37,400-	्र लागू नहीं	नहीं	लागृ नहीं होत	I
(प्रचालन *कार्यभार के	67,000/-	_होता			
और संचार) आधार पर	धन ग्रेड व	वेतन			
परिवर्तन किया	10,000/-	रू. ^{क का}	Ř. st		
- जा सकता है।	Alt. Pos				
	2 5				. The Property
पीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित	सीधे भर्ती	किए जाने वाले व्य	क्तियों के लिए विहि	त परिवीक्षा की	 अवधि. यदि
गैक्षिक और अन्य अर्हताएं			नत व्यक्तियों की दश		nuniform
× ×		गी या नहीं			
(8)	F	(9)		(10)	
लागू नहीं होता	R 13 - K 344	लागू नहीं होता		लागू नहीं होत	I

भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रितिनुषुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा मरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणिया जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(11)

प्रतिनियुक्ति द्वारा

(12)

केन्द्रीय सरकार या रक्षा बलों या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारियों में से :-

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;

या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 37,400-67,000/- रु. के वेतनमान धन 8900 रु. के ग्रेड वेतन या समतुल्य में उस पद पर, नियुक्ति के पश्चात्, नियमित आधार पर, उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है;

या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 37,400-67,000/- रु. के वेतनमान धन 8700 रु. के ग्रेड वेतन या समतुल्य में उस पद पर, नियुक्ति के पश्चात्, नियमित आधार पर, उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है;

और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है । आवश्यक शैक्षिक अर्हताएं :

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या रक्षा अध्ययन या वाणिज्य या कला या मानविकी या कारबार प्रशासन में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य ।

अनुभव :

(क) आवश्यक:

- (i) रक्षा बलों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस या दूरसंचार में पंद्रह वर्ष का
- (ii) कार्य चालन संबंधी योजना या नीति विरचना या आपदा प्रबंधन या रक्षा बलों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस या दूरसंचार की योजनाओं या परियोजनाओं या ज्येष्ठ स्तरीय प्रबंधन की संकल्पना, तैयारी, समन्वय और प्रबंधन का अनुभव; और
- (iii) भावी नेटवर्क या सूचना सुरक्षा या डाटा आधारित प्रबंधन नियंत्रण में नवीनतम उपनित और विकास का ज्ञान ।

(ख) वांछनीय:

- (i) राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय संस्थानों या संगठनों में सुसंगत क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त हाँ कि निर्माण के इस्ति है हम अस्ति अस्ति हो।
- ि प्रताप के प्राचान के कार्य कर किए किए किए किए के प्रताप के प्रताप के स्वार और सूचना प्रौद्योगिकी की परियोजनाओं के कार्यान्वयन या मूल्यांकन या पुनर्विलोकन या विश्लेषण का अनुभव ।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या . इ.स. १९७१ के विकास के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य ा पर पर पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नित समिति है, तो उसकी संरचना

नार केया वस्ताति । चाहकीहरू हा हा हासक ही ।

walled to the first open party of the light party specific

wante for the training of a training the

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

लागू नहीं होता । तथापि, भर्ती चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे की

- सिफारिशों पर, कैबिनेट की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से की जाएगी :-ा. उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण — अध्यक्ष
 - 2. सचिव या विशेष सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण —सदस्य
 - 3. सचिव, विशेष सचिव या अपर सचिव, गृह मंत्रालय टिप्पण 1 : चयन समिति अध्यर्थियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार, अध्यर्थियों की शैक्षिक अर्हताओं और अनुभव, उनके सेवा अभिलेख और साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन को समुचित महत्व देते हुए जैसा समिति द्वारा अवधारित किया जाए के आधार पर, अपनी सिफारिशें करेगी।

टिप्पण 2 : जब प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक हो तो चयन समिति, समिति द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले मापदंड के आधार पर, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अर्ध्यर्धियों की संख्या को कम करने का अधिकार आरक्षित रखती है।

(14)

लागू नहीं होता।

4		IHE GA	ZEITE OF INI	JIA : EXI.	RAURDINARI	[1 AK1 11—BEC. 5(1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. संयुक्त सलाहकार (पुनर्वास औ पुनरूद्धार)	एक* (2009) *कार्यभार के ोर आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समृह 'क'	37,400- 67,000/- धन ਸ਼ੇਵ ਕੇਰਜ 87,00/- ਨ.	लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता
(8)				(9)		(10)
लागू नहीं	होता		लाग	ू नहीं होता		लागू नहीं होता
	-		1			
(1	1)			(12)	

प्रोन्तित द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

- (क) प्रोन्नित : राष्ट्रीय आपदा प्रवंधन प्राधिकरण में कार्यरत ऐसे ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारियों में से, जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है । टिप्पण : जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक
- (ख) प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या रक्षा बलों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारियों में से :-(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश एव धारण किए
- (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश एव धारण वि हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 15,600-39,100/- रु. के वेतनमान धन 7600 रु. के ग्रेड वेतन या समतुल्य में उस पद पर, नियुक्ति के पश्चात्, नियमित आधार पर, उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है;

और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। शैक्षिक अर्हताएं :

(क) आवश्यक :

पुरी कर ली हो।

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान या आयुर्विज्ञान या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या कला या मानविकी या कारबार प्रशासन में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य ।

(ख) वांछनीय

उपरोक्त (क) खंड में निर्दिष्ट सुसंगत विषय में डाक्टरेट डिग्री।

अन्थव :

- (क) आवश्यक:
- (i) केन्द्रीय सरकार या रक्षा बलों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में बारह वर्ष का अनुभव;
- (ii) राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर कार्यचालन संबंधी विकास योजनाओं की नीति विरचना, विश्लेषण, तैयारी और समन्वय या स्कीमों और योजनाओं की परियोजना विरचना, तैयारी और क्रियान्वयन या मूल्यांकन पुनर्विलोकन और मानीटरिंग का अनुभव।

(ख) वांछनीय:

- (i) राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर, आपदा या शमन स्कीमों की तैयारी या मूल्यांकन या निष्पादन या मानीटीरिंग करेन का अनुभव।
- (ii) ख्यातिप्राप्त राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय संस्थानों या संगठनों में सुसंगत क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो ।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(14)(13) लागू नहीं होता । लागू नहीं होता । तथापि, भर्ती चयन सिमिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे की सिफारिशों पर, सक्षम प्रधिकारी के अनुमोदन से की जाएगी :-सचिव या विशेष सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण -अध्यक्ष संबंधित तकनीकी प्रभाग का सलाहकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण -सदस्य 2. -सदस्य संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन प्रभाग), गृह मंत्रालय 3. संयुक्त सचिव (प्रशासन और समन्वय), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण -सदस्य टिप्पण 1 : चयन सिमिति अभ्यर्थियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार, अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हताओं और अनुभव, उनके सेवा अभिलेख और साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन को समुचित महत्व देते हुए जैसा समिति द्वारा अवधारित किया जाए के आधार पर, अपनी सिफारिशें करेंगी। टिप्पण 2 : जब प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक हो तो चयन सिमिति, समिति द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले मापदंड के आधार पर, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अध्यर्थियों की संख्या को कम करने का अधिकार आरक्षित रखती हैं। (7) (6)(4) (5)(1) (2) (3) लागू नहीं होता समृह 'क' नहीं लागू नहीं 37,400-एक* (2009) 3. संयुक्त होता 67,000/-*कार्यभार के सलाहकार धन ग्रेड वेतन (क्षमता आधार पर 87,00/- も. निर्माण और परिवर्तन किया जा सकता है। प्रशिक्षण) (10)(9) (8) लागू नहीं होता लागू नहीं होता लागू नहीं होता (12)(11)

प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(क) प्रोन्नित : राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में कार्यरत ऐसे ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारियों में से, जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी की ली हो।

- (ख) प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या रक्षा बलों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारियों में से :-
- (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 15,600-39,100/- रु. के वेतनमान धन 7600 रु. के ग्रेड वेतन या समतुल्य में उस पद पर, नियुक्ति के पश्चात्, नियमित आधार पर, उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है:

औ

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। शैक्षिक अर्हताएं:

(क) आवश्यक:

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान या आयुर्विज्ञान या अर्थशास्त्र या सांख्यिको या रक्षा अध्ययन या कला या मानविको या कारबार प्रशासन में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी की किसी शाखा में या प्रौद्योगिको में डिग्री या समतुल्य ।

(ख) वांछनीय

उपरोक्त (क) खंड में निर्दिष्ट सुसंगत विषय में डाक्टरेट डिग्री । अनभव

(क) आवश्यक :

- (i) केन्द्रीय सरकार या रक्षा बलों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों या सुलिस या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में बारह वर्ष का अनुभव;
- (ii) राज्य या राष्ट्रीय स्तर स्कीमों और योजनाओं की नीति विरचना, तैयारी और कार्यान्वयन या परियोजना मूल्यांकन, पुनर्विलोकन और मानीटरिंग का अनुभव ।

(ख) वांछनीय:

- (i) राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर, प्रशिक्षण संस्थानों में कार्य करने का अनुभव ।
- (ii) राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर, प्रचालित आपदा या शमन स्कीमों की तैयारी या मूल्यांकन या निष्पादन या मानीटरिंग करने का अनुभव ।
- (iii) आपदाओं के प्रवन्धन या देख-रेख का अनुभव ।
- (iv) ख्यांति प्राप्त राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय संस्थानों या संगठनों में सुसंगत क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो ।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि हैं, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(14)(13)लागू नहीं होता। लागू नहीं होता । तथापि, भर्ती चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होगें, की सिफारिशों पर, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से की जाएगी :-1. सचिव या विशेष सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2. संबंधित तकनीकी प्रभाग का सलाहकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण -सदस्य 3. संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन प्रभाग), गृह मंत्रालय -सदस्य 4. संयुक्त सचिव (प्रशासन और समन्वय), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण -सदस्य टिप्पण 1 : चयन समिति अभ्यर्थियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार, अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हताओं और अनुभव, उनके सेवा अभिलेख और साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन को समुचित महत्व देते हुए जैसा समिति द्वारा अवधारित किया जाए के आधार पर, अपनी सिफारिशें करेंगी। टिप्पण 2 : जब प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक हो तो चयन समिति, समिति द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले मापदंड के आधार पर, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अध्यर्थियों की संख्या को कम करने का अधिकार आरक्षित रखती हैं। (7) (5) (6) (4) (2)(3)(1)लागू नहीं होता समूह 'क' नहीं 37,400-लागू नहीं एक* (2009) 4. संयुक्त *कार्यभार के 67,000/-होता सलाहकार धन ग्रेड वेतन आधार पर (प्रचालन 87,00/- रू. परिवर्तन किया कन्द्र) जा सकता है। (10)(9) (8) लागू नहीं होता लागू नहीं होता लागू नहीं होता (12)(11)(क) प्रोन्तिः राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में कार्यरत ऐसे ज्येष्ठ प्रान्नित द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा अनुसंघान अधिकारियों में से, जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है । टिप्पण : बहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अईक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्ति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ट व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी की ली हो। (ख) प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या रक्षा बलों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारियों में से :-(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 15,600-39,100/- रु. के वेतनमान धन 7600 रु. के ग्रेड वेतन या समतुल्य में उस पद पर, नियुक्ति के पश्चात्, नियमित आधार पर, उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। शैक्षिक अर्हताएं :

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या रक्षा अध्ययन कला या मानविकी या वाणिज्य या कारबार प्रशासन में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य ।

अनुभव :

- (क) आवश्यक:
- (i) रक्षा बलों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस या दूरसंचार में बाहर वर्ष का अनुभव;
- (ii) राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर की स्कीमों और योजनाओं की नीति विरचना, तैयारी और कार्यान्वयन या परियोजना मूल्यांकन, पुनर्विलोकन और मानीटरिंग का अनुभव।
- (ख) वांछनीय:
- (i) राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर, प्रचालित योजनाओं या आपदा अनुक्रिया या शमन स्कीमों की तैयारी या मूल्यांकन या निष्णादन या मानीटीरिंग करने का अनुभव ।
- (ii) राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, आपदा प्रबन्धन संबंधी पाठ्यक्रमों या सेमिनारों में भाग लेने का अनुभव ।
- (iii) आपदाओं के प्रबन्धन या देख-रेख का अनुभव ।
- (iv) रक्षा बलों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस या दूरसंचार या ख्यातिप्राप्त राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय संस्थानों या संगठनों में सुसंगत क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(13)(14)लागू नहीं होता । तथापि, भर्ती चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होगें, की लागू नहीं होता । सिफारिशों पर, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से की जाएगी :-1. सचिव या विशेष सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण -अध्यक्ष 2. संबंधित तकनीकी प्रभाग का सलाहकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण -सदस्य 3. संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन प्रभाग), गृह मंत्रालय —सदस्य 4. संयुक्त सचिव (प्रशासन और समन्वय), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण —सदस्य टिप्पण 1 : चयन समिति, अभ्यर्थियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार, अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हताओं और अनुभव, उनके सेवा अभिलेख और साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन को समुचित महत्व देते हुए जैसा समिति द्वारा अवधारित किया जाए, के आधार पर, अपनी सिफारिशें करेंगी। टिप्पण 2 : जब प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक हो तो चयन समिति, समिति द्वारा विनिष्टिचत किए जाने वाले मापदंड के आधार पर, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को कम करने का अधिकार आरक्षित रखती हैं ।

प्रोन्नित द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

- (क) प्रोन्ति : राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में कार्यरत ऐसे ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारियों में से, जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण : जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी की ली हो।
- (ख) प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या रक्षा बलों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारियों में से :—
- (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 15,600-39,100/- रु. के वेतनमान घन 7600 रु. के ग्रेड वेतन या समतुल्य में उस पद पर, नियुक्ति के प्रश्चात्, नियमित आधार पर, उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है;

और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है । शैक्षिक अर्हताएं :

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान या कारबार प्रशासन या रक्षा अध्ययन में मास्टर डिग्री या इलैक्ट्रानिक्स या दूरसंचार या सूचना प्रौद्योगिकी या कंम्प्यूटर विज्ञान में डिग्री या समतुल्य ।

अनुभव :

- (क) आवश्यक:
- (i) रक्षा बलों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस या पुलिस बेतार और संचार या दूरसंचार या सूचना प्रौद्योगिकी में बारह वर्ष का अनुभव;
- (ii) बृहत् समेकित संचार नेटवर्क की नीति विरचना, तैयारी और देखें-रेख का अनुभव ;
- (iii) भावी पीढ़ी नेटवर्क या डाटा आधारित प्रबन्धन में संचार या सूचना सुरक्षा या विकास के क्षेत्र में नवीनतम उपनित और विकास का ज्ञान ।
- (ख) वांछनीय:
- (i) राष्ट्रीय स्तर पर संचार परियोजनाओं की विरचना या तैयारी या क्रियान्वयन का अनुभव ;

(12) (ii) डाटा फ्यूजन केन्द्र, डाटा प्रत्युद्धरण और साइबर स्पेस संरक्षण की स्थापना का अनुभव । 🖖 🗀 टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । (13)(14)लागू नहीं होता । तथापि, भर्ती चयन सिमिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे की लागू नहीं होता । र्सिफारिशों पर, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से की जाएगी := 🐬 🗇 प्राप्त हर्माहर्मिकी पर संबंध है र संबंधी , प्राप्त ही राज 1. सचिव या विशेष सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण — अध्यक्ष 2. संबंधित तकनीकी प्रभाग का सलाहकार, राष्ट्रीय आपदा प्रवंधन प्राधिकरण प्रवंधन प्राधिकरण प्रवंधन प्राधिकरण प्रवंधन प्राधिकरण प्रवंधन प्रधिकरण प्रवंधन प्रवंधन प्रवंधन प्रधिकरण प्रवंधन प्रवं 🏄 संयुक्त सचिव (प्रशासन और समन्वय) र राष्ट्रीय आगड़ा 🖟 🚁 🚊 🕫 है कि प्रबंधन्-प्राधिकरणाहर्क कावमान्यकेन अपूर्व में सकी एकीस विकास सदस्य क टिप्पण 1 : चयन समिति अध्यक्षियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार, अध्यक्षियों की शैक्षिक अर्हताओं और अनुभव, उनके सेवा अभिलेख और साक्षात्कार में ंउनके प्रदर्शन को समुचित महत्व देते हुए जैसा समिति द्वारा अवधारित किया जाए, के आधार पर, अपनी सिफारिशें करेंगी वह के उत्कार कर हा नहींनू टिप्पण 2 : जब प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक हो तो चयन समिति, समिति द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले मापदंड के आधार पर, साक्षात्कार कें लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को कम करने का अधिकार आरक्षित रखती हैं। (1) (6)(7)एक* (2009) 6. सहायक समूह 'क' 15,600-518 TERETTE नहीं लागू नहीं होता क स्माहकार के कार्यभूष के नाम्य म प्राचनकार के कार्यभूष के नाम्य म हित्र अस्ति होता या संस्कृतिका या सुन्त्रीक्षित प्राचित्र परिवर्तन किया F-4004- 75 F-51 16,6004- 35. जा सकता है। (9) (10)लागू नहीं होता लागू नहीं होता लागू नहीं होता (11) (12)प्रौतिमयुक्ति होरा प्रतिनियुक्ति :-केन्द्रीय सरकार या रक्षा बलों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारियों में से :-(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

	12
5400 रु	न्होंने मूल काडर या विभाग में 9300—34,,800 रु. के वेतनमान धन . के ग्रेड वेतन या समतुल्य में उस पद पर, नियुक्ति के पश्चात्, नियमित सर, उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है;
(ভ) বি	ननके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :—
क स्टब्स् १.चीतु वर्कन क त्रिक एक १० एकान ४०० व. शैक्षिक	अर्हताएं ;
THE STATE OF STATE OF STATE OF STATES	
्राज्ये प्रयोग रूप राष्ट्रहास हासक्त हार्यकारों के सामग्री के प्रधार का <mark>अनुभव</mark>	
रक्षा बले इस मान्याचे के कि (१८८४) - १८३२ में क्यानी के प्राप्त हुन के कि माँचे वर्षे इस्टार्ग के की किसे इस कि मान्याचे के किस्ता	यों केन्द्रीय पुलिस संगठनों या पुलिस में प्रशासन और प्रचालन क्षेत्रों में को अनुभव ।
ाटपण भी- के कि प्रकार के कोने के कार हुए , प्राप्ति के की में करती	1 : अनुभव संबंधित अपेक्षा को, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा य सरकार द्वारा अनुसूची के स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट चयन समिति की
- ३ वर्गा व गाँव प्रवास वर्गाति वर्गाती वर्ग सिफारिश	िंपर, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, शिथिल किया जा सकता है।
भविष्य ण	2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या
न्दर्भोद्धरीय ए सम्बंधि प्रदर्भन व सम्बंधि का प्रशासन्त्र स्टा किसी अ	
	ह्य पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक
नहीं होगी । ਇਸ ਸਭੀਬ ਸੀਫ ਸਮਝ ਸਮਝੀਤੂ ਦਾ ਸ਼ਲੀਤੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੀਤੂ ਸਾਹਿਕਾਂ ਟਿਆਂਸ ਤ	
अध्यक्षण स्थापन स्थापन कर का प्रशासन के प्राप्त कर का अनुभव कर उस हमार्य संस्था से स्थापन की के संस्थानिक समार्थ कर का अनुभव कर	3 : श्रातानयुक्त द्वारा ।नयुक्त के ।लए आयकतम् आयु-सामा आयुप् ने की अंतिम नाग्रेक को ५६ वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
मा १: अनुपार समाध्य अपेक्षा का अस्पार्थ समाहेत अप्यादेश का देश	
कि विकास कर अवस्थित है । (13)	
लागू नहीं होता । तथापि, भर्ती चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे क	्राया (14) ति होता ।
तार् का होता । तथाप, मता चयन सामात, जिसम निमालाखत होने क सिफारिशों पर, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से की जाएंगी :-	
ाः सचिव या विशेष सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण — अध्य	
2. संबंधित तकनीकी प्रभाग का सलाहकार, राष्ट्रीय आपदा	사람들이 하면 마음을 하는 것이 없는 것이 되었다. 그는 것이 없는 사람들이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이다.
ः अप्रबंधनं प्राधिकरणाच्याः अर्थे क स्थानिकान् स्थानिकान् —सदस्	
3. संयुक्त सचिव (आपदा प्रेबन्धन प्रभाग), गृह मंत्रालय के कि सदस्	그 등 것은 이번 없는 사내는 경우 전 경우 전 시간에 가장 있다면 가장 하는 것이 되었다. 그 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 것이 되었다.
4. संयुक्त सचिव (प्रशासन और समन्वय), राष्ट्रीय आपदा	
प्रबंधन प्राधिकरण (११) —सदस	9 ((1)
टिप्पण 1 : चयन समित अभ्यर्थियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार, अभ्यर्थियों व	क्रिक्टार्स्ट्रास्ट्री पेटार्स होतीम नकर केच गोमण्ड कांद्र कि ए.स.
शैक्षिक अर्हताओं और अनुभव, उनके सेवा अभिलेख और साक्षात्कार ग	
उनके प्रदर्शन को समुचित महत्व देते हुए जैसा समिति द्वारा अवधासित किय	ा. मोनव च केरोर समित्र, समूचि जपक प्रदेश सभैकरूट ூ
जाए, के आधार पर, अपनी सिफारिशें करेंगी।	. ा उपने जीवर असरमञ्जा कि मानव किने के सिनिक अधिक 🔞
टिप्पण 2 : जब प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक हो तो चयन समिति	
समिति द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले मापदंड के आधार पर, साक्षात्कार व लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को कम करने का अधिका	
अप्रित प्रवर्ती हैं ।	
	The present of the factor of the first of th
(1) (2) (3) (4)	
7. सहायक एक* (2009) समूह 'क' 15,600-	लागू नहीं नहीं होता
सलाहकार *कार्यभार के 39,100 रू.	१७५ <mark>होता</mark> हु अन्ति । १७०३ में कि निर्माणक प्राप्त ४० । १ सम्प्राप्त
(सचार) आधार पर धन ग्रंड वेतन	ree, y be a more have not redefine but
परिवर्तन किया 6,600 रू	ाक समाप्त अने कि सहस्ति का विकेश के विकास है। इस्ति इस्ति है
ના ઇત્રવા દા	

12 THE GAZETTE C	OF INDIA: EXTRAORDINARY	[PART HI—Sec. 3(i)]
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(11)	- (12)	ī
प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुद्धित: - केन्द्रीय सरकार या रह पुलिस या राज्य सरकारों या संघ राज्य है (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में वि	त्रिं के ऐसे अधिकारियों में से :-
	हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग मे 5,400 रु. के ग्रेड वेतन या समतुल्य नियमित आधार पर, उस श्रेणी में पांच	में, उस पद पर, नियुक्ति के पश्चात्,
	(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक	अर्हताएं और अनुभव हैं :—
	शैक्षिक अहंताएं : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस् या सूचनात्मक प्रौद्योगिकी या दूरसंचार में अनुभव : रक्षा बलों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों या दूरसंचार में संचार नेटवर्क परियोजनाओं व टिप्पण 1 : अनुभव संबंधित अपेक्षा क में, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूची के स्तं सिफारिशों पर, कारणों को लेखबद्ध कर टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जि	नें बैचलर डिग्री या समतुल्य । पुलिस या पुलिस बेतार और संचार या के देख-रेख का पाँच वर्ष का अनुभव । हो, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा भ (13) में विनिर्दिष्ट चयन समिति की रते हुए, शिथिल किया जा सकता है । ससके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या
	किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नि काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अ नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 व	विध है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदग
		1, 14, 80
(13)	. (14	
लागू नहीं होता । तथापि, भर्ती चयन समिति, जिसमें निम्निलिरि सिफारिशों पर, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से की जाएगी :- 1. सचिव या विशेष सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रवंधन प्राधिकरण 2. संबंधित तकनीकी प्रभाग का सलाहकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 3. संयुक्त सचिव (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), गृह मंत्रालय 4. संयुक्त सचिव (प्रशासन और समन्वय), राष्ट्रीय आपदा		ों होता ।

टिप्पण 1: चयन समित अध्यर्थियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार, अध्यर्थियों की शैक्षिक अईताओं और अनुभव, उनके सेवा अभिलेख और साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन को समुचित महत्व देते हुए जैसा समिति द्वारा अवधारित किया जाए, के आधार पर, अपनी सिफारिशें करेंगी।

प्रबंधन प्राधिकरण

टिष्ण 2: जब प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक हो तो चयन समिति, समिति द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले मापदंड के आधार पर, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अध्यर्थियों की संख्या को कम करने का अधिकार आरक्षित रखती है।

[भाग II—खा	ण्ड 3(i)]		भारत का	राजपत्र : असा	धारण	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
 सहायक सलाहकार (सूचना 	एक* (2009) *कार्यभार के आधार पर	समूह 'क'	15,600- 39,100 रु. धन ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता
प्रौद्योगिकी)	परिवर्तन किया जा सकता है।		6,600 ₹.			
(8)				(9)		
लागू नहीं ह	होता -		लाग	्र नहीं होता		(10)
				Y Ter entil		लागू नहीं होता
(11)			(12)		
प्रतिनियुक्	त हारा		प्रतिनि पुलिस	युक्ति:-केद्रीय	सरकार या रक्षा या संघ राज्य क्षेत्र	बलों या केन्द्रीय पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारियों में से :-
			(क)(i हुए.हैं;) जो मूल कांडर या	या विभाग में निय	भ एस आवकारिया में सं :— मित आधार पर संदृश पद धारण वि 300—34,800 रु. के वेतनमान ध
		•	5,400 नियमित	रु. क ग्रंड वेतन आधार पर, उस	्या समतुल्य में, श्रेणी में पांच वर्ष	उस पद पर, नियुक्ति के पश्चा सेवा की है; और
			(ख) বি ক্ষী	जनके पास निम्न्ति	नखित शैक्षिक अ	र्हताएं और अनुभव हैं :—
				अर्हताएं :	4 N T D	- A
	er Arg		या सूचन अनुभव	त्मिक प्रौद्योगिकी	ाधालय या संस्थान या दूरसंचार में बै	ा से कंप्यूटर विज्ञान या इलैक्ट्रानिक चलर डिग्री या समतुल्य ।
* * * * * * *					के देख-रेख का	गाँच वर्ष का अनुभव ।
entider i g	V 27 MT		टिप्पण में, केन्द्री	। : अनुभव संबंधि य सरकार द्वारा अनु	गत अपेक्षा को, अ सिची के स्तंभ (ान्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दश 13) में विनिर्दिष्ट चयन समिति क ए, शिथिल किया जा सकता है।
	. Prantina in Prints venus	and brown	टिप्पषा 2 किसी अन	ः प्रतिनियुक्ति कं य संगठन या विभ इ पद पर प्रतिनिय्	ो अवधि, जिसके गि में इस नियक्ति	अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी य में ठीक पहले धारित किसी अन्ह है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक
िक स्टब्स्स स्टब्स (१८) सम्बद्धि	्या नाष्ट्रभी व हार पारणे के महालत	The state of the best of	इन स्ट्रीटिप्पण 3 इ.स.च्याप्त करने	का अतिम तारीर	र नियुक्ति के लि इ को 56 वर्ष से	ए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन अधिक नहीं होगी ।
	(13)			1 *		. ()
नहीं होता । तथा	पि, भर्ती चयन स	मिति, जिसमें	TO A A			14) गहीं होता ।
लोखत होंगे की	सिफारिशों पर, स	नक्षम प्राधिकारी व	हे शाहर महत्व हम् क		લાનું .	। ।ता ।
दिन से की जाए		The first par				
साचव या 1वशष संबंधित तकनीर्क प्रबंधन प्राधिकरण	प्रभाग का सला	आपदा प्रबंधन प्रार् हकार, राष्ट्रीय आ	धेकरण पदा	—अध्यक्ष —सदस्य		
तंयुक्त सचिव (३ तंयुक्त सचिव (४	आपदा प्रबंधन प्रध् ग्रशासन और समन	गग), गृह मंत्रालय वय), राष्ट्रीय	7	–सदस्य –सदस्य		
नापदा प्रबंधन प्रा	धिकरण					

3. 4.

7	**************************************	74.1 C.S.	1 ()
(13)	कार्या अध्यक्तियों की पीधिक		A750.2 3
टिप्पण 1 : चयन समिति अभ्यर्थियों से व्यक्तिगत अर्हताओं और अनुभव, उनके सेवा अभिलेख औ	त साक्षात्कार, अस्यायया का राजिया ति जाधात्कार में उनके पटर्शन को	व प्रशेष	गुरुक् लिक
अर्हताओं और अनुभव, उनक सवा आभलेख आ समुचित महत्व देते हुए, जैसा समिति द्वारा अवधारित	त किया जाए के आधार पर, अपनी	77 11/7	(FIF,5)
	(1 14)41 AIK, 12 AIL 112 113 113 113 113 113	লে টা জীৱনীয়া	·
सिफारिशें करेगी । टिप्पण 2 : जब प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिव	् ःः इ. हो हो चयन समिति समिति द्वारा	্ট্ৰান্তৰ চৰ	
टेप्पण 2 : जब प्राप्त आवरना का संख्या जायप विनिश्चित किए जाने वाले मापदंड के आधार पर, र	माक्षात्कार के लिए बलाए जाने वाले		CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF
वानाश्चत किए जान पाल मापपड परणानार रहे	आरक्षित रखती है ।	the state of the s	The second section is the second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section of the second section is a second section of the second section of the second section of the second section of the
अध्यायया का संख्या पर्या पर्या वर्षा वर्षा	Constitution of the Consti		18
(1) (2) (3)	The second secon	(7)	
(1) (2)(3)	(4)(5)(6)	च्या प्रती होत	न
9. ड्यूटी <u>2*(2009)</u> समूह 'क'	— 15,600- — लागू नहीं — नहीं -	तार्थं महा-कार	11)
अधिकारी *(कार्यभार के क क्षेत्रपत प्रकृष प्रक्रिक के कि कि कि (प्रचालन आधार पर (प्रचालन कार्यक्रिक क्षेत्र के कि कार्यक	39,100 रुहोता	100 P. 10	a principal de la company de la company La company de la company de
्र क्रिक्स प्रति प्रदेश के क्रिक्स की कि है है। (प्रचालन आधार पर	धन ग्रेड वेतन		
्री हैं में क्षेत्रक्षियों के ए के किस स्वर्ध कर है.	6600.₹.		
केन्द्र) परिवर्तन किया जा सकता है।)	1		
	- 8 数 数 数		
SP FIUFOF # # 008, 4E-0014 F FIFFH 1	property restriction .	(10)	
(8) क्षेत्र है कि वह देश है है है	THE RE TO THE PARTY.	(10)	`
	्र वर्षाम् नहीं होता	लागू नहीं ह	ाता
लाग नहीं होता - भीर निर्मार असीर पह	STREET RIP SOME (S) Y		
लागू नहीं होता हुए प्रार्थित करीत है	्रामान्यम् साथ क्ष्यान्यः स्थानीयः -		
Andrews Andrews See Section 64 and 64	: प्राप्तिक सम्बोदि		
and another content from the proper and the content	: प्राप्तिक सम्बोदि	मा म्था बलों या केन्दीय पलिस	। संगठनों या पुलिस
and another content from the proper and the content	ं प्रापंत्रहः सम्बंधिः वहाराहाः स्थातास्थाने वित्रे (12) स्थातिस्थातिकः केदीय सरव	हार या रक्षा बलों या केन्द्रीय पुलिस ह्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारियों में	। संगठनों या पुलिस से :
प्राथम स्टब्स्ट के स्टब्स्ट के प्रमुख्य से हा है के स्टब्स्ट के प्रमुख्य से हैं के स्टब्स्ट के प्रमुख्य से स्टब्स्ट के स्टब्स से से स्टब्स से से स्टब्स से से से स्टब्स से	्राप्तकार सम्बद्धिः प्रातिनयुक्तिः : केन्द्रीय सस्व या सन्य संस्कारों या संघ स	ज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारियों में	₩:
स्वयमहरूपा (१०) व्या प्रत्यक्त स्व हार्यका व्यापका प्रति प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्राप्तकः सम्बद्धिः (12) प्रतिनयुक्तः : केन्द्रीय सरव या राज्य सरकारों या संघ रा	हार या रक्षा बलों या केन्द्रीय पुलिस ज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारियों में विभाग में नियमित आधार पर सर	₩:
प्राथित होरा प्रतिनियुक्ति होरा इतिनियुक्ति होरा	्राप्तिक कार्तीर प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरव या राज्य सरकारों या संघ रा (क)(i) जो मूल काडर या	ज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारिया मा विभाग में नियमित आधार पर स	स : दृश पद धारण किए
प्रतिनियुक्ति द्वारा प्रतिनियुक्ति द्वारा प्रतिनियुक्ति द्वारा हिन्दु कि	प्राचित्रक कार्नीर प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरव या राज्य सरकारों या संघ रा (क)(i) जो मूल कांडर या हुए हैं; या	ज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारिया मा विभाग में नियमित आधार पर सर	स : दृश पद धारण किए 5. के वेतनमान धन
प्रतिनियुक्ति द्वीरा प्रतिनियुक्ति द्वीरा प्रतिनियुक्ति द्वीरा प्राप्ति क्षिण्यस्य स्थानिय	प्राचित्रक कार्नीर प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरव या राज्य सरकारों या संघ रा (क)(i) जो मूल कांडर या हुए हैं; या	ज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारिया मा विभाग में नियमित आधार पर सर	स : दृश पद धारण किए 5. के वेतनमान धन
प्रतिनियुक्ति हैं।रा प्रतिनियुक्ति हैं।रा इन्ह्या के क्षा ग्रांग के कर्म के प्रतिन्ति इन्ह्या के क्षा ग्रांग कि होंग के क्षा के के क्षा के क्	प्रानंदार कार्नीर प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरव या राज्य सरकारों या संघ रा (क)(i) जो मूल कांडर या हुए हैं; या नाम प्रानंदार हुए हैं; या कांक्र प्रानंदार हुए हैं; या कांक्र प्रानंदार हुए हैं; या कांक्र प्रानंदार हुए हैं; या कांक्र प्रानंदार हुए हैं के प्रानंदार के अपने के	ज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारिया में विभाग में नियमित आधार पर सर्व या विभाग में 9,300—34,800 रु या समतुल्य में, उस पद पर, नि	स : दृश पद धारण किए 5. के वेतनमान धन ायुक्ति के पश्चात् र
प्रतिनियुक्ति होरा प्रतिनियुक्ति होरा हम्मूर कि क्षा गाँग कि हरे छो। हम्मूर कि क्षा गाँग कि हरे छो। हम्मूर कि क्षा गाँग कि हमें कि कि होरा हम्मूर कि क्षा गाँग कि हम के कि हमें कि कि हमें कि कि हमें कि हमें कि हम के कि हमें कि हम हमें कि हम हमें कि हमें कि हम हमें कि हम हमें कि हम हमें कि हम हमें कि हमें कि हम हमें कि हमें कि हमें कि हम हम हमें कि हमें हमें हमें हमें हमें हमें हमें हमें	प्रतिनियुक्तिः केन्द्रीय सरव या राज्य सरकारों या संघ रा (क)(i) जो मूल काडर या उत्तरिक प्रमृत्ति हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर र रिक्टी प्रतिक के ग्रेड वेतन र नियमित आधार पर, उस श्रे वामकी प्र म्हिन्सी प्रमृत्ति के पास निम्निल	ज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारिया में विभाग में नियमित आधार पर सर्व या विभाग में 9,300—34,800 रु या समतुल्य में, उस पद पर, नि	स : दृश पद धारण किए 5. के वेतनमान धन त्युक्ति के पश्चात्, र
प्रतिन्युक्ति (11) व्याप्ता संस्कृत प्राप्ता विकास प्रमाण (11) व्याप्ता प्रतिन्युक्ति प्राप्ता प्रतिन्युक्ति प्राप्ता प्रतिन्युक्ति प्राप्ता प्रतिन्युक्ति प्राप्ता प्रतिन्युक्ति प्रत्या प्रतिन्युक्ति प्रत्या प्रतिन्युक्ति प्रतिन्या उत्यविक्ति स्तिन्युक्ति स्तिन्युक्ति प्रतिन्युक्ति स्तिन्युक्ति स्तिन्युक्ति स्तिन्यिक स्तिन्युक्ति स्तिन्युक्ति स्तिन्यिक स्तिन्युक्ति स्तिन्या स्तिन्युक्ति स्तिन्युक्ति स्तिन्युक्ति स्तिन्युक्ति स्तिन्युक्ति स्तिन्युक्ति स्तिन्युक्ति स्तिन्युक्ति स्तिन्युक्ति स्तिन्यिन्युक्ति स्तिन्युक्ति स्तिन्यिन्युक्ति स्तिन्यिन्युक्ति स्तिन्युक्ति स्तिन्युक्ति स्तिन्यिन्यिन्य स्तिन्यिन्यिन्यिन्यिन्यिन्यिन्या स्तिन्यिन्यिन्यिन्यिन्यिन्यिन्यिन्यिन्यिन्य	प्रतिनियुक्तिः केन्द्रीय सरव या राज्य सरकारों या संघ रा (क)(i) जो मूल काडर या हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या 5400 रु. के ग्रेड वेतन र नियमित आधार पर, उस श्रे गामकी प्र म्हिन्होंने पर उस श्रे गामकी प्र म्हिन्होंने पर हैं (ख) जिन्नके पास निम्निल	ज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारिया में विभाग में नियमित आधार पर सर्व या विभाग में 9,300–34,800 रु या समतुल्य में, उस पद पर, नि प्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; औ खित शैक्षिक अर्हताएं और अनुध	स: दृश पद धारण किए ज. के वेतनमान धन म्युक्ति के पश्चात्, र म्य हैं:
ति वा अध्यात से क्ष्यून विद्या विद्या के कि	प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरव या राज्य सरकारों या संघ रा (क)(i) जो मूल काडर या हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या (वंद्रीक्ष के प्रेड वेतन के नियमित आधार पर, उस श्रे गामही प्र निजन के प्रेड वेतन के शिक्ष अहंताएं :	ज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारिया में विभाग में नियमित आधार पर सव या विभाग में 9,300—34,800 रु या समतुल्य में, उस पद पर, नि श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; औ खित शैक्षिक अर्हताएं और अनुध्	स: हुश पद धारण किए इ. के वेतनमान धन त्युक्ति के पश्चात्, इ. स्व है:
ति वा अध्यात से क्ष्यून विद्या विद्या के कि	प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरव या राज्य सरकारों या संघ रा (क)(i) जो मूल काडर या उपायक प्राप्त हुए हैं: या (ii) जिन्होंने मूल काडर या (iii) जिन्होंने मूल काडर व नियमित आधार पर, उस श्रे विकास के जिन्हों या है। जिन्हों पास निम्निल शैक्षिक अहंताएं :	ज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारिया में विभाग में नियमित आधार पर सन् या विभाग में 9,300—34,800 रु या समतुल्य में, उस पद पर, नि श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; औ खित शैक्षिक अर्हताएं और अनुध् द्यालय या संस्थान से विज्ञान या अध्यालय या कारवार प्रशासन में बैचलर	स: हुश पद धारण किए इ. के वेतनमान धन त्युक्ति के पश्चात्, इ. स्व है :
ति या अध्यात में क्यार विद्या प्राप्त में क्यार कि विद्या प्राप्त में क्यार कि विद्या के कि विद्या में क्यार के कि	प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरव या राज्य सरकारों या संघ रा (क)(i) जो मूल काडर या हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या (वंद्रीक्ष के प्रेड वेतन के नियमित आधार पर, उस श्रे गामही प्र निजन के प्रेड वेतन के शिक्ष अहंताएं :	ज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारिया में विभाग में नियमित आधार पर सन् या विभाग में 9,300—34,800 रु या समतुल्य में, उस पद पर, नि श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; औ खित शैक्षिक अर्हताएं और अनुध् द्यालय या संस्थान से विज्ञान या अध्यालय या कारवार प्रशासन में बैचलर	स: हुश पद धारण किए इ. के वेतनमान धन त्युक्ति के पश्चात्, इ. स्व है:
लग का अस्त्र स कर्माण विश्व (11) शाक्त भरता प्रतिकार प्राचेत कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म	प्रतिनियुक्त : केन्द्रीय सरव या राज्य सरकारों या संघ रा (क)(i) जो मूल काडर या हुए हैं; या नियामत आधार पर, उस श्रे विकास मान्य (ख) जिंद्यके पास निम्निल श्रीक्षिक अर्हताएं : प्रमानितित क्या पर (ख) जिंद्यके पास निम्निल श्रीक्षिक अर्हताएं : प्रमानितित क्या प्रशासकी मान्यतीप्राप्त विश्ववित्त प्राप्ति मान्यति क्या प्रशासकी मान्यतीप्राप्त विश्ववित्त	ज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारिया में विभाग में नियमित आधार पर सर या विभाग में 9,300—34,800 रु या समतुल्य में, उस पद पर, नि वेणी में पांच वर्ष सेवा की है; औ तिखत शैक्षिक अर्हताएं और अनुध् द्यालय या संस्थान से विज्ञान या अध् त्य या कारबार प्रशासन में बैचलर समतुल्य ।	स : इश पद धारण किए के बेतनमान धन स्युक्ति के पश्चात् स्व है : र्थशास्त्र या सांख्यिक
लिय का अध्यान स कर्पाय कि (11) शतकानार प्राप्त में कर्पाय के कर्पाय के कर्पाय के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के कर्पाय के अध्यान के कर्पाय के क्षेत्र के कर्पाय के कर्पाय के क्षेत्र के कर्पाय के क्षेत्र के कर्पाय के क्षेत्र के क्षेत्र कर्पाय के अध्या के अध्या के क्षेत्र के क्षेत्र कर्पाय के क्षेत्र के अध्या के क्षेत्र कर्पाय करते के क्षेत्र	प्रतिनियुक्तिः केन्द्रीय सरव या राज्य सरकारों या संघ रा (क)(i) जो मूल काडर या हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या 5400 रु. के ग्रेड वेतन र नियमित आधार पर, उस श्रे वाहारी का नियमित आधार पर उस श्रे	ज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारिया में विभाग में नियमित आधार पर सब या विभाग में 9,300-34,800 रु या समतुल्य में, उस पद पर, नि रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; औ रखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभ द्यालय या संस्थान से विज्ञान या अध् त्य या कारबार प्रशासन में बैचलर समतुल्य ।	स : इश पद धारण किए के वेतनमान धन स्युक्ति के पश्चात्, स्व है : र्थशास्त्र या सांख्यिक डिग्री या इंजीनियर्र
प्रतिन्य प्राच्या प्रक्रम स कामून प्रदेश कर विद्या प्रतिन्य कर विद्या प्रतिन्य कर विद्या प्रतिन्य कर विद्या कर विद्	प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरव या सन्य सरकारों या संघ स (क)(i) जो मूल काडर या हिए हैं: या नियामत आधार पर, उस है नियामत आधार पर, उस है नियामत आधार पर, उस है हिन्निति म हिन्दी जिल्ला पास निम्निल शैक्षिक अर्हताएं : पर निविध्या स्था अध्ययन या वाणि या प्रौद्योगिकी में डिग्री या अनुभव रक्षा बलों या केन्द्रीय पुरि	ज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारिया में विभाग में नियमित आधार पर सब या विभाग में 9,300—34,800 रु या समतुल्य में, उस पद पर, नि वेणी में पांच वर्ष सेवा की है; औ रिखत शैक्षिक अर्हताएं और अनुध् द्यालय या संस्थान से विज्ञान या अध् त्य या कारबार प्रशासन में बैचलर समतुल्य ।	स : इश पद धारण किए के वेतनमान धन म्युक्ति के पश्चात्, स् व है : र्थशास्त्र या सांख्यिक डिग्री या इंजीनियर्र वार में प्रशासन औ
लिय का अध्यान स कर्पाय कि (11) शतकानार प्राप्त में कर्पाय के कर्पाय के कर्पाय के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के कर्पाय के अध्यान के कर्पाय के क्षेत्र के कर्पाय के कर्पाय के क्षेत्र के कर्पाय के क्षेत्र के कर्पाय के क्षेत्र के क्षेत्र कर्पाय के अध्या के अध्या के क्षेत्र के क्षेत्र कर्पाय के क्षेत्र के अध्या के क्षेत्र कर्पाय करते के क्षेत्र	प्रतिनियुक्तिः केन्द्रीय सरव या राज्य सरकारों या संघ रा (क)(i) जो मूल काडर या हिए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या 5400 रु. के ग्रेड वेतन र नियमित आधार पर, उस श्रे विहानीतीः पर हर्स खु) जिन्नके पास निम्निल श्रीक्षिक अर्हताएं : पर निविधिक या रक्षा अध्ययन या वाणिक या प्रौद्योगिकी में डिग्री या अनुभव रक्षा बलों या केन्द्रीय पुरि प्रचालन क्षेत्रों आदि में पी	ज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारिया में विभाग में नियमित आधार पर सव या विभाग में 9,300-34,800 रु या समतुल्य में, उस पद पर, नि रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; औ रखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभ द्यालय या संस्थान से विज्ञान या अध् त्य या कारबार प्रशासन में बैचलर समतुल्य । (१) विस्तासंगठनों द्या पुलिस या दूरसंग् व वर्ष का अनुभव । हर्सन्य के वर्ष का अनुभव ।	स : इश पद धारण किए के वेतनमान धन ग्युक्ति के पश्चात्, र ग्व है : र्यशास्त्र या सांख्यिक डिग्री या इंजीनियर वार में प्रशासन औ सरकार के उसी व
लिय जा अध्यत स कर्याच (11) श्राव्यापाय प्रतिकार में कर्याच में स्वार्थ के क्षिप्तित्तीय रंगा-रेष्ठ का गाँच प्रया का उत्पुच्य के स्वार्थ की स्था (यो के स्रीम (13) में विनिश्चित चयम अधिति को प्रवाद करते हुए, विश्वाम क्षेत्र मा स्वया है। अविद्या विक्ति अभित क्षेत्रीय क्ष्ममा में असे वा से इस गिनुक्ति से तीक पहले प्रतित क्षियों अन्य का को अव्योध है। साधारणयया ९ वर्ष से अधिक निमुक्ति के शिष्ट अधिकतम आनु-सीन्य आनेग्र को 56 वर्ष हे अधिका नहीं होगी।	प्रतिनियुक्तिः केन्द्रीय सरव या राज्य सरकारों या संघ रा (क)(i) जो मूल काडर या जिल्हा हुए हैं; या नियमित आधार पर, उस श्री विकास किन्द्रीय पर (ख) जिल्ला पर पर, उस श्री विकास किन्द्रीय पर (ख) जिल्ला पर पर विकास किन्द्रीय पर (ख) जिल्ला पर विकास किन्द्रीय पर विकास किन्द्रीय पर प्रतिन्युक्ति व रक्षा बलों या केन्द्रीय पुरि प्रचालन क्षेत्रों आदि में पा टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति व	ज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारिया में विभाग में नियमित आधार पर सर्व या विभाग में 9,300-34,800 रु या समतुल्य में, उस पद पर, नि रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; औ तिखत शैक्षिक अर्हताएं और अनुध् द्यालय या संस्थान से विज्ञान या अध् त्य या कारबार प्रशासन में बैचलर समतुल्य । (१) विस्तासंगठनों द्या सुलिस या दूरसंच व वर्ष का अनुभव । अर्थकार्य के विज्ञान के द्रीव	स : दृश पद धारण किए . के वेतनमान धन युक्ति के पश्चात् र व है : र्थशास्त्र या सांख्यिक डिग्री या इंजीनियर य सरकार के उसी र से धारत कि सी अन
लिय का अध्यान स कर्पाय कि (11) शतकानार प्राप्त में कर्पाय के कर्पाय के कर्पाय के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के कर्पाय के अध्यान के कर्पाय के क्षेत्र के कर्पाय के कर्पाय के क्षेत्र के कर्पाय के क्षेत्र के कर्पाय के क्षेत्र के क्षेत्र कर्पाय के अध्या के अध्या के क्षेत्र के क्षेत्र कर्पाय के क्षेत्र के अध्या के क्षेत्र कर्पाय करते के क्षेत्र	प्रतिनियुक्तिः केन्द्रीय सरव या राज्य सरकारों या संघ रा (क)(i) जो मूल काडर या जिल्हा हुए हैं; या नियमित आधार पर, उस श्री विकास किन्द्रीय पर (ख) जिल्ला पर पर, उस श्री विकास किन्द्रीय पर (ख) जिल्ला पर पर विकास किन्द्रीय पर (ख) जिल्ला पर विकास किन्द्रीय पर विकास किन्द्रीय पर प्रतिन्युक्ति व रक्षा बलों या केन्द्रीय पुरि प्रचालन क्षेत्रों आदि में पा टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति व	ज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारिया में विभाग में नियमित आधार पर सव या विभाग में 9,300—34,800 रु या समतुल्य में, उस पद पर, नि रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; औ तिखत शैक्षिक अर्हताएं और अनुभ द्यालय या संस्थान से विज्ञान या अध् त्य या कारबार प्रशासन में बैचलर समतुल्य । (११) विस्ता संगठनों द्या सुलिस-या दूरसंच च वर्ष का अनुभव कि रोज्या केन्द्रीय की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय भाग में इस नियुक्ति से ठीक पहर नियक्ति की अवधि है, साधारणत	स : दृश पद धारण किए त. के वेतनमान धन ायुक्ति के पश्चात् र वव है : र्यशास्त्र या सांख्यिक डिग्री या इंजीनियर वार में प्रशासन औ य सरकार के उसी व
प्रतिन्युक्ति (11) श्रीक्ति प्रतिन्युक्ति विशेष्ट के स्थापित क	प्रतिनियुक्त : केन्द्रीय सरव या राज्य सरकारों या संघ रा (क)(i) जो मूल काडर या हिए हैं; या (क) कि ग्रेड वेतन र (ii) जिन्होंने मूल काडर रा (वं कि की मान्य की प्रांड वेतन र नियमित आधार पर, उस श्रे विकास मान्य कि मान्य की प्रांच विश्वविद्या हैं। जिन्हों के पास निम्निल श्रीक्षिक अर्हताएं : प्रमानित प्रमानित की मान्यतीप्राप्त विश्वविद्या प्रांच मान्यतीप्राप्त विद्या विद्या प्रांच प्रांच विद्या विद्या विद्या प्रांच प्रांच विद्या	ज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारिया में विभाग में नियमित आधार पर सव या विभाग में 9,300-34,800 रु या समतुल्य में, उस पद पर, नि रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; औ तिखत शैक्षिक अर्हताएं और अनुभ द्यालय या संस्थान से विज्ञान या अध् त्य या कारबार प्रशासन में बैचलर समतुल्य । (१) विस्तान्य विभाग पुलिस या दूरसंच व वर्ष का अनुभव कि पहर्स की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीं भाग में इस नियुक्ति से ठीक पहर्स नियुक्ति की अवधि है, साधारणत	स : दृश पद धारण किए क वेतनमान धन त्युक्ति के पश्चात्, र व है : र्थशास्त्र या सांख्यिक हिग्री या इंजीनियर वार में प्रशासन औ क सरकार के उसी य
स्था प्राच्या संस्था प्रमुख स सम्बार प्राचित कर्मा प्राचित कर्मा स स्थान है। स्थान से स्थान है। स्थान से अधिक से से अधिक सही होगी।	प्रतिनियुक्त : केन्द्रीय सरव या राज्य सरकारों या संघ रा (क)(i) जो मूल काडर या हिए हैं: या नियमित आधार पर, उस श्रे हिल्लीकी मान्यतीप्राप्त विश्वविद्यालय स्था अनुभव रक्षा बलों या केन्द्रीय पुरि प्रचालन क्षेत्रों आदि में पाँ टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति व काडर बाह्य पद पर प्रति नहीं होगी।	ज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारिया में विभाग में नियमित आधार पर सव या विभाग में 9,300—34,800 रु या समतुल्य में, उस पद पर, नि रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; औ तिखत शैक्षिक अर्हताएं और अनुभ द्यालय या संस्थान से विज्ञान या अध् त्य या कारबार प्रशासन में बैचलर समतुल्य । (११) विस्ता संगठनों द्या सुलिस-या दूरसंच च वर्ष का अनुभव कि रोज्या केन्द्रीय की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय भाग में इस नियुक्ति से ठीक पहर नियक्ति की अवधि है, साधारणत	स : इश पद धारण किए क के वेतनमान धन म्युक्ति के पश्चात, स क है : र्थशास्त्र या सांख्यिक हिग्री या इंजीनियर सरकार के उसी य सरकार के उसी य सरकार के उसी य सरकार के उसी य

४८७८७८ भारत -का सजप्त्रः असाधारणःः (13) लागू नहीं होता । तथापि, भर्ती, चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे की (14)सिफारिशों पर, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से की जाएगी :-लागू नहीं होता। min the tr 1. सचिव या विशेष सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विकास साम्यानिक विकास सम्बद्धान स्थापन --अध्यक्ष 2ः संबंधित तकनीकी प्रभाग का सलाहकार, राष्ट्रीय आपदा प्रकार से कहन है जानत के हैंग्यूज़ में बन्तु प्रबंधन प्राधिकरण हार -सदस्य TREET, 16 在 25年 6 日 和 16 日 日 16 日 17 日 17 日 त वासकों में प्रस्तानी एका तथा के बेबता त 3. संयुक्त सचिव (प्रशासन प्रभाग), गृह मंत्रालय देवनीयंद्र हे हमें लग्नेड़ हा समझे हैं। इसीकेंट्र —सदस्य 4. संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन प्रभाग), गृह मंत्रालय 证:食質 時所可以 透析 > -सदस्य 5. संयुक्त सचिव (प्रशासन और समन्वय), राष्ट्रीय ।। अस्त व वाराक्षीकारी कार्याकार केरी (a) -सदस्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या इन्युट्य से इप्रोत्यास्त्र हे साहर या प्या. टिप्पण 1 : चयन समिति अभ्यर्थियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार, अभ्यर्थियों की शैक्षिक विक्रमा विज्ञान में मन्त्र म सुमात क्षेत्र है अर्हताओं और अनुभव, उनके सेवा अभिलेख और साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन को प्रशासिको में एक्टर था उपतुरूप दिसी। मा समुचित महत्व देते हुए, जैसा समिति द्वारा अवधारित किया जाए, के आधार पर, अपनी हाड़ने क प्रस्तावहरूत विस्त्रविद्वालय क संस्थान सिफारिशें करेगी। या समत्तृत्व से दर्गनशास्त्र में इन्करिट वा टिप्पण 2 : जब प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक हो तो चयन समिति, समिति द्वारा अपनुतिकास में आकरोट का नुसंगत क्षेत्र में शतन विनिश्चित किए जाने वाले मानदंड के आधार पर, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले विकसा ये गस्त्र या सम्बुल्य विश्वी। या अभ्यर्थियों की संख्या को कम करने का अधिकार आरक्षित रखती है। 野野 (野) (1) उन खांनतयां हे लिए वांच वर्ष का अनुसव, (1) (2) (3) (4) -(5)मार्था कोर्न है। (न) संग्रह हार दर्म (6) 10. ज्येष्ठ 9* (2009) समूह 'क' 15,600-लागू नहीं नहीं अनुसंधान 6 July Na 35 वर्ष। *(कार्यभार के 39,100 ₹. होता हर्माट किन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय अधिकारी आधार पर धन ग्रेड वेतन परिवर्तन किया कर्वात ज्यार जारी किए गए अनुदेशों या 6600 रू. आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों जा सकता है।) के लिए, साधारण अध्यर्थियों की जिल्हा में शिथिल करके 40 वर्ष तक कार्ते अन्त्रथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा में सकती है ।) में मिनाइ - एक्टर्ज में का नामन किंदुर मार्ट-को के इस्पर्क टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई नामान मार्गास और प्राचीन अल्पकानिक समित और आयोग आवार अंतिम तारीख होगी । (म कि वह का प्रतितार्थका को है। कर्नाव सकार व्यास माकार्ग वा त्या प्रश्तिकार्थ - १५७६ हो असिम् जारीख जो असम, मैघालय, याः विश्वविद्यालयं या प्रवितक मेच्य उपक्रमें या नान्याकृषा अकारानेक न -होट पर इअरुणाचलंकः प्रदेश; ही मिज़ोरम् अनुमधान स प्रतिक्षण संस्थाओं और अवस्थानारों या कामूनों या स्थानत उ हितंत १८ मणिपुर, ह नामालैंड, हे हि त्रिपुरा, भू में क्रिक्स ने क्षेत्र में क्षित्र में मानावर्ष में भ सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के (स.)(१) को मूल करहर वह क्रियान से नियमित भागर पर पर्य का भूरत किर लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, हर प्रमान के हैं ऐस्पूर्स -(M) में हाम के प्रवास हुए होंड़ाई (A) अंदमान और निकोबार द्वीप या इ.स.ए. ह. हारीह डेन्स वा स्वस्तुवा वे प्रयापत या, विद्युरेख क व्यान्त लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए ंहें कि एसे केन में हैं की में की में की में की विहित की गई है।)

(8)

(9)

(10)

(क) शैक्षिक अईताएं

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या समतुल्य से कला में मास्टर या विज्ञान में मास्टर या पशु-चिकित्सा विज्ञान में बैचलर या आयुर्विज्ञान में बैचलर और शल्य चिकित्सा में बैचलर या प्रौद्योगिकी में बैचलर या सुसंगत क्षेत्र में इंजीनियरी में बैचलर या समतुल्य डिग्री; या
- (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या समतुल्य से दर्शनशास्त्र में मास्टर या पशु-चिकित्सा विज्ञान में मास्टर या सुसंगत क्षेत्र में प्रौद्योगिकी में मास्टर या समतुल्य डिग्री; या (iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या समतुल्य से दर्शनशास्त्र में डाक्टरेट या आयुर्विज्ञान में डाक्टरेट या सुसंगत क्षेत्र में शल्य चिकित्सा में मास्टर या समतुल्य डिग्री; या

(ख) अनुभव

- (i) उन व्यक्तियों के लिए पांच वर्ष का अनुभव, जिनके पास उपरोक्त मद (i) में निर्दिष्ट शैक्षिक अर्हताएं हैं ।
- (ii) उन व्यक्तियों के लिए तीन वर्ष का अनुभव, जिनके पास उपरोक्त मद (ii) में निर्दिष्ट शैक्षिक अर्हताएं हैं।
- (iii) उन व्यक्तियों के लिए दो वर्ष का अनुभव, जिनके पास उपरोक्त मद (iii) में निर्दिष्ट शैक्षिक अर्हताएं हैं।

टिप्पण – आपदा प्रबंधन के अपेक्षित क्षेत्र में अनुभव की टीक-ठीक प्रकृति, सुसंगत पदों के लिए विज्ञापन में उपदर्शित की जाएगी । लागू नहीं होता

एक वर्ष । परिवीक्षा की अवधि, प्रत्येक अवसर पर, अधिकतम छह मास की और अवधि के लिए दो बार बढ़ाई जा सकती है ।

(11)

50% सीधी भर्ती द्वारा, 50% प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्प-कालिक संविदा और आमेलन आधार पर प्रति-नियुक्ति भी है), जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। (12)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा और आमेलन आधार पर प्रतिनियुक्ति भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संध राज्यक्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अकादिमक या अनुसंधान या प्रशिक्षण संस्थाओं और अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वायत्त या स्थानीय निकावों के ऐसे अधिकारियों में से

- $(\tilde{\mathbf{a}})(i)$ जो मृल कांडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विधाग में 9,300-34,800 रु. के वेतनमान धन 5,400 रु. के ग्रेड वेतन या समतुल्य में, उस पद पर, नियुक्ति के पश्चात्, नियमित आधार पर, उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिनके पास सतंभ (8) के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पर पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सर्विदा भी है) या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी पर या किन्हीं कारणों से एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(13)

(क) भर्तों के लिए विभागीय चयन सिमिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

लागू नहीं होता।

- सचिव या विशेष सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
- —अध्यक्ष
- सलाहकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए)
- —सदस्य
- 3. संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन प्रभाग), गृह मंत्रालय
- —सदस्य
- 4. संयुक्त सचिव (प्रशासन और समन्वय), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
- —सदस्य
- (ख) विभागीय प्रोन्नित समिति (सीधी भर्ती के व्यक्तियों की पुष्टि के लिए) की संरचना वहीं होगी जो ऊपर है।

टिप्पण 1 : चयन समिति अभ्यर्थियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार, अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हताओं और अनुभव, उनके सेवा अभिलेख और साक्षत्कार में उनके प्रदर्शन को समुचित महत्व देते हुए, जैसा समिति द्वारा अवधारित किया जाए, के आधार पर अपनी सिफारिशें करेगी।

टिप्पण 2: जब प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक हो तो चयन समिति, समिति द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले मानदंड के आधार पर, साक्षत्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को कम करने का अधिकार आरक्षित रखती है।

टिप्पण 3 : इस स्तंभ में विनिर्दिष्ट सिमितियों द्वारा की गई सिफरिशें अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखी जाएगी।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2009

G.S.R. 682(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5, read with Section 75 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' posts in the National Disaster Management Authority, namely :-

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Disaster Management Authority (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2009.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. —The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.
- 4. Initial Constitution.—Senior Research Officers already working in the National Disaster Management Authority, having been recruited through an open advertisement, shall be deemed to have been appointed as Senior Research Officers as direct recruits in terms of these Recruitment Rules, subject to their suitability for the post being assessed by the Departmental Selection Committee, with reference to the requirements of educational qualifications, experience and age, as laid down in the Schedule. Their date of appointment in the National Disaster Management Authority shall, however, be the date on which they acquired the prescribed educational qualifications and experience.
 - 5. Disqualification.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law appointment to the said posts: applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any

- 6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it person from the operation of this rule. may, by orders and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class
- 7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required or category of persons. to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Gasses, the ex-servicemen and the other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ime in this reg		SCHE		Whether benefit	Age-limit for direct recruits
Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	selection post or	of added years of service admis- sible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	
			(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)		- No	Not applicable
1. Advisor (Operations and Communications)	1*(2009) *Subject to variation dependent i- on workload.		Rs. 37,400–67,000 Plus Grade Pay Rs. 10,000	applicable		

Educational and other qualifications recruits	required for direct	मा राजपत्र : असाधारण Whether age and educational	Poris J. C.			
John		qualifications prescribed for direct recruits will apply in the	Period of probation, if any			
(8)		case of promotees				
Not applicable		(9)	(10)			
Not applicable		Not applicable	Not applicable			
Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by arrious methods		tment by promotion or deputation or deputation or deputation or absorption to be	or absorption, grades fro made			
(11)			F.			
By deputation	From om a - 4.4	(12)				
		officers of the Central Governmen Juion Territories:				
	(a) (i) noiding ana	logous post on regular basis in the I	parent cadre or departmen			
		Or	THE PERMITTED TO SELECTION OF THE PE			
	(ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto o regular basis in the post in the scale of pay of Rs. 37,400-67,000 plus Grade Pa Rs.8,900 or equivalent in the parent cadre or department;					
	or (iii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the post in the scale of page 68.					
	regular basis in the	service in the grade rendered aft	er appointment thereto o			
	Rs. 8,700 or equiva	post in the scale of pay of Rs. 37,44 alent in the parent cadre or department	00-67,000 plus Grade Panent;			
	(b) possessing follo	wing educational qualifications ar				
	Essential Education	nal Qualifications:	id experience :—			
	Master's Degree in	Science or Economics or Ctati	cs or Defense Co. II			
		Vi IIIIIIIIIIIIII OF BUCIDOGO A J.				
		nology from a recognised university	Or institute or equivalent			
			equivalent.			
	(a) Essential:	Name of the state				
		erience in Defence Forces or Centra unications;				
Trailor (c.) () proper service (c.)	projects or Senior le Organisations or Poli	rational plan or policy formulation, preparation, coordination and nevel management of Defence Foce or Telecommunications; and	or disaster management nanagement of plans or orces or Central Police			
in the state of th	nformation security of	est trends and developments in next or data based management control	generation networks or			
	o) Desirable:					
la distribution di seglente della conseglente di seglente		training in the relevant fields at n				
(I)	 experience of imple ommunication and in 	ementation or appraisal or review o				
po	ote 1: Period of depu	receding this appointment				
. ye	ars.	ment of the Central Government	shall not exceed five			
No fift	te 2: The maximum y-six years of age as	age-limit for appointment by depu on the closing date for the receip	tation shall not exceed			

[PART II—SEC. 3(i)] THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY 20 Circumstances in which Union Public Service If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition Commission is to be consulted in making recruitment (14)(13)Not applicable. Not applicable. Recruitment shall, however, be made with the approval of the Appointments Committee of the Cabinet on the recommendations of a Selection Committee consisting of: 1. Vice Chairperson, National Disaster Management -Chairman Authority. Secretary or Special Secretary, National Disaster -Member Management Authority. 3. Secretary or Special Secretary or Additional Secretary in -Member the Ministry of Home Affairs Note 1: The Selection Committee shall make their recommendations on the basis of personal interviews with the candidates, giving appropriate weightage, as may be determined by the Committee, to the educational qualifications and experience of the candidates, their service record as well as their performance in the interview. Note 2: When the number of applications received is large, the Selection Committee reserves the right to shortlist the candidates to be called for interview, based on the criteria to be decided by the Committee. (7) (6)(5)(4)(3)(2)(1) Not applicable No Rs. 37,400-67,000 Not Group 'A' 1*(2009) 2. Joint applicable Plus Grade Pay Advisor *Subject Rs. 8,700 (Rehabilito variation dependent tation and Recovery). workload. (10)(9) (8) Not applicable Not applicable Not applicable (12)By promotion, failing which by deputation (A) Promotion: From amongst the Senior Research Officers working in the (11)National Disaster Management Authority with ten years of regular service in the Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to

qualifying or eligibility service.

territories;

the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such

(B) Deputation: From amongst the officers of the Central Government or Defence Forces or Central Police Organisations or Police or State Governments or Union

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the post in the scale of pay of Rs.15,600-39,100 plus Grade Pay Rs.7,600 or equivalent in the parent cadre or department;

(b) possessing following educational qualifications and experience:

Educational Qualifications:

(a) Essential:

Master's Degree in Science or Medicine or Economics or Statistics or Arts or Humanities or Commerce or Business Administration or Degree in Engineering or Technology from a recognised university or institute or equivalent.

(b) Desirable:

Doctorate Degree in the relevant subject referred to in clause (a) above.

Experience:

(a) Essential:

- (i) twelve years' experience in Central Government or Defence Forces or Central Police Organisations or Police or State Governments or Union Territories
- (ii) experience in policy formulation, analysis, preparation and co-ordination of development plans or project formulation, preparation and implementation or appraisal, review and monitoring of schemes and plans operational at state or national level.

(b) Desirable:

- (i) experience in preparation or appraisal or execution or monitoring of disaster or mitigation schemes at state or national level;
- (ii) having undergone training in the relevant fields at reputed national or international institutes or organisations.
- Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed five

Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years of age as on the closing date for the receipt of applications.

Not applicable. Recruitment shall have	(14)	
Not applicable. Recruitment shall, however, be made with the approval of the competent authority on the recommendations of a Selection Committee consisting of:	Not applicable	7
1. Secretary or Special Secretary, National Disaster Management Authority 2. Advisor of concerned Technical Division, National Disaster Management Authority 3. Joint Secretary (Disaster Management Division) in the Ministry of Home Affairs Joint Secretary (Administration and Coordination), National Disaster Management Authority —Member		

(13)

Note 1: The Selection Committee shall make their recommendations on the basis of personal interviews with the candidates, giving appropriate weightage, as may be determined by the Committee, to the educational qualifications and experience of the candidates, their service record as well as their performance in the interview.

Note 2: When the number of applications received is large, the Selection Committee reserves the right to shortlist the candidates to be called for interview, based on the criteria to be decided by the Committee.

				(5)	(6)	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)			Not applicable
Joint Advisor (Capacity Building and Training)	1* (2009) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'	Rs. 37,400–67,000 Plus Grade Pay Rs. 8,700	Not applicable	No	
				Maria e	3	(10)
	<u> </u>		(9)			
(8)				-1.10		Not applicable
Not app	licable		Not appli	cable		
Not app	House,				4	
					(12)	
	(11)				- the Corni	or Research Officers working in

By promotion, failing which by deputation (A) Promotion: From amongst the Sernior Research Officers working in the National Disaster Management Authority with ten years of regular service in the

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

- (B) Deputation: From amongst the officers of the Central Government or Defence Forces or Central Police Organisatioins or Police or State Governments or Union
- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the post in the scale of pay of Rs.15,600-39,100 plus Grade Pay Rs.7,600 or equivalent in the parent cadre or department;

(b) possessing following educational qualifications and experience: **Educational Qualifications:**

Master's Degree in Science or Medicine or Economics or Statistics or Defence (a) Essential: Studies or Arts or Humanities or Commerce or Business Administration or Degree in any branch of Engineering or Technology from a recognised university or institute or equivalent.

(b) Desirable:

Doctorate Degree in the relevant subject referred to in clause (a) above.

Experience:

(a) Essential:

- (i) twelve years' experience in Central Government or Defence Forces or Central Police Organisations or Police or State Governments or Union Territories
- (ii) experience in policy formulation, preparation and implementation or project appraisal, review and monitoring of schemes and plans at state or national level.

(b) Desirable:

- (i) experience of working in Training Institutes at state or national level;
- (ii) experience of preparation or appraisal or execution or monitoring of disaster or mitigation schemes operational at state or national level;
- (iii) experience in management or handling of disasters;
- (iv) having undergone training in the relevant fields at reputed national or international institutes or organisations.

Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed five years.

Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years of age as on the closing date for the receipt of applications.

(13)(14)

Not applicable. Recruitment shall, however, be made with the approval of the competent authority on the recommendations of a Selection Committee consisting of:

Not applicable.

- 1. Secretary or Special Secretary,
 - National Disaster Management Authority
- -Chairman
- 2. Advisor of concerned Technical Division, National Disaster Management Authority
- -Member
- 3. Joint Secretary (Disaster Management Division) in the Ministry of Home Affairs
- -Member
- 4. Joint Secretary (Administration and Coordination), National Disaster Management Authority
- -Member

Note 1: The Selection Committee shall make their recommendations on the basis of personal interviews with the candidates, giving appropriate weightage, as may be determined by the Committee, to the educational qualifications and experience of the candidates, their service record as well as their performance in the interview.

Note 2: When the number of applications received is large, the Selection Committee reserves the right to shortlist the candidates to be called for interview, based on the criteria to be decided by the Committee.

Arts or Humanities or Commerce or Business Administration or Degree in Engineering or Technology from a recognised University or Institute or equivalent.

Experience:

(a) Essential:

- (i) twelve years' experience in Defence Forces or Central Police Organisations or Police or Telecommunications;
- (ii) experience in policy formulation, preparation and implementation or project appraisal, review and monitoring of schemes and plans at state or national level.

(b) Desirable:

- (i) experience or preparation, appraisal, execution or monitoring of operational plans or disaster response or mitigation schemes operational at state or national
- (ii) experience of attending courses or seminars on disaster management at national or international level;

- (iii) experience in management or handling of disasters;
- (iv) having undergone training in the relevant fields at reputed national or international or Defence Forces or Central Police Organisations or Police or Telecommunications institutes or organisations.

Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed five years.

Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years of age as on the closing date for the receipt of applications.

Not applicable.

(13)

Not applicable. Recruitment shall, however, be made with the approval of the competent authority on the recommendations of a Selection Committee consisting of:

- Secretary or Special Secretary,
 National Disaster Management Authority
- —Chairman
- Advisor of concerned Technical Division, National Disaster Management Authority
- -Member
- 3. Joint Secretary (Disaster Management Division) in the Ministry of Home Affairs
- -Member
- Joint Secretary (Administration and Coordination), National Disaster Management Authority
- -Member

Note 1: The Selection Committee shall make their recommendations on the basis of personal interviews with the candidates, giving appropriate weightage, as may be determined by the Committee, to the educational qualifications and experience of the candidates, their service record as well as their performance in the interview.

Note 2: When the number of applications received is large, the Selection Committee reserves the right to shortlist the candidates to be called for interview, based on the criteria to be decided by the Committee.

(7) (6) (5)(4) (3)(2) (1) Not applicable No Not Rs. 37,400-67,000 Group 'A' 1*(2009) 5. Joint applicable Plus Grade Pay *Subject Advisor Rs. 8,700 to variation (Communidependent cations and Information on Technology) workload. (10)

(8) (9) (10)

Not applicable Not applicable Not applicable

(11)

(12)

By promotion, failing which by deputation (A) Promotion: From amongst the Sernior Research Officers working in the National Disaster Management Authority with ten years of regular service in the

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

- (B) Deputation: From amongst the officers of the Central Government or Defence Forces or Central Police Organisations or Police or State Governments or Union Territories;
- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;

or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the post in the scale of pay of Rs. 15,600-39,100 plus Grade Pay Rs. 7,600 or equivalent in the parent cadre or department;

and

(b) possessing following educational qualifications and experience:

Educational Qualifications:

Master's Degree in Science or Business Administration or Defence Studies or Degree in Electronics or Telecommunications or Information Technology or Computer Science from a recognised University or Institute or equivalent.

Experience:

(a) Essential:

- (i) twelve years' experience in Defence Forces or Central Police Organisations or Police or Police Wireless and Communications or Telecommunications or Information Technology;
- (ii) experience in policy formulation, preparation and handling of large integrated communication networks;
- (iii) knowledge of latest trends and developments in the field of communication or information security or developments in next generation networks or data based management.

(b) Desirable:

- (i) Experience in formation or preparation or implementation of communication projects at national level;
- (ii) Experience in establishment of data fusion centre, data recovery and cyber space protection;

Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed five years.

Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years of age as on the closing date for the receipt of applications.

(13)

(14)

Not applicable. Recruitment shall, however, be made with the approval of the competent authority on the recommendations of a Selection Committee consisting of:

Not applicable

(13)

Secretary or Special Secretary,
 National Disaster Management Authority
 —Chairman

Advisor of concerned Technical Division,
 National Disaster Management Authority

-Member

3. Joint Secretary (Disaster Management Division) in the Ministry of Home Affairs

—Member

4. Joint Secretary (Administration and Coordination), National Disaster Management Authority

-Member

Note 1: The Selection Committee shall make their recommendations on the basis of personal interviews with the candidates, giving appropriate weightage, as may be determined by the Committee, to the educational qualifications and experience of the candidates, their service record as well as their performance in the interview.

Note 2: When the number of applications received is large, the Selection Committee reserves the right to shortlist the candidates to be called for interview, based on the criteria to be decided by the Committee.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
6. Assistant Advisor (Operations Centre).	1*(2009) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'		Not applicable	No.	Not applicable		
(0)					(9)	(10)		
(8)				37-4-		Not applicable		
Not applic	cable			Not a	pplicable	Notappheasie		
(11	I)				(12)			
By dep	utation		Deputation: From amongst the officers of the Central Government or Defence Forces or Central Police Organisations or Police or State Governments or Union Territories;					
			(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department					
			o r					
			(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto or regular basis in the post in the scale of pay of Rs. 9,300-34,800 plus Grade Pages S. 5,400 or equivalent in the parent cadre or department;					
					a n d			
			(b) possessing following educational qualifications and experience:					
			Educational Qualifications:					
			Bachelor's degree from a recognised university or institute or equivalent.					
			Experience:					
			(i) five years' ex Forces or Centra	operience in Police Orga	administration a	and operational areas in Defencice.		

Note 1: The requirement of experience is relaxable by the Central Government on the recommendations of the Selection Committee specified in column (13) of the Schedule in the case of candidates otherwise well qualified, for reasons to be recorded in writing.

Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed five years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years of age as on the closing date for the receipt of applications.

(13)

(14)

Not applicable. Recruitment shall, however, be made with the approval of the competent authority on the recommendations of a Selection Committee consisting of:

Not applicable

 Secretary or Special Secretary, National Disaster Management Authority

—Chairman

Advisor of concerned Technical Division, National Disaster Management Authority

-Member

Joint Secretary (Disaster Management Division)

in the Ministry of Home Affairs

-Member

4. Joint Secretary (Administration and Coordination), National Disaster Management Authority

-Member

Note 1: The Selection Committee shall make their recommendations on the basis of personal interviews with the candidates, giving appropriate weightage, as may be determined by the Committee, to the educational qualifications, experience and Computer Knowledge of the candidates, their service record as well as their performance in the interview.

Note 2: When the number of applications received is large, the Selection Committee reserves the right to shortlist the candidates to be called for interview, based on the criteria to be decided by the Committee.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. Assistant Advisor (Communi- cations).	1*(2009) *Subject to variation dependent on workload.		Rs. 15,600–39,100 Plus Grade Pay Rs. 6,600	Not applicable	No.	Not applicable

(8)	(9)	(10) Not applicable	
Not applicable	Not applicable		

(11)Deputation: From amongst the officers of the Central Government or Defence By deputation Forces or Central Police Organisations or Police or State Governments or Union

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the post in the scale of pay of Rs. 9,300-34,800 plus Grade Pay Rs. 5,400 or equivalent in the parent cadre or department;

(b) possessing following educational qualifications and experience:

Educational Qualifications:

Bachelor's Degree in Computer Science or Electronics or Informational Technology or Telecommunications from a recognised university or institute or equivalent.

Experience:

(i) five years' experience in handling of communication network projects in Defence Forces or Central Police Organisations or Police or Police Wireless and Communications or Telecommunications.

Note 1: The requirement of experience is relaxable by the Central Government on the recommendations of the Selection Committee specified in column (13) of the Schedule in the case of candidates otherwise well qualified, for reasons to be recorded in writing.

Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed five years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall and exceed fifty-six years of age as on the closing date for the receipt of applications.

(14)(13)

Not applicable. Recruitment shall, however, be made with the approval of the competent authority on the recommendations of a Selection Committee consisting of:

Not applicable

1. Secretary or Special Secretary,

National Disaster Management Authority 2. Advisor of concerned Technical Division, National Disaster Management Authority

-Member

-Chairman

3. Joint Secretary (Disaster Management Division) in the Ministry of Home Affairs

-Member

4. Joint Secretary (Administration and Coordination), National Disaster Management Authority

-Member

Note 1: The Selection Committee shall make their recommendations on the basis of personal interviews with the candidates, giving appropriate weightage, as may be determined by the Committee, to the educational qualifications, experience and Computer Knowledge of the candidates, their service record as well as their performance in the interview.

Note 2: When the number of applications received is large, the Selection Committee reserves the right to shortlist the candidates to be called for interview, based on the criteria to be decided by the Committee.

2.

3.

		IND	GAZETTE OF INL	MA:EXIKAC	DRDINARY	[PART II—Sec. 3(i	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Assistant Advisor (Information Technology).	*Subject to variation	Group 'A'	Rs. 15,600–39,100 Plus Grade Pay Rs. 6,600	Not applicable	No.	Not applicable	
(8)				(9))	(10)	
Not applicable			Not applicable		Not applicable		
P.			***************************************			A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	
(11)				(1:	2)		
Ву Дери	nation		Forces or Central F Territories; (a) (i) holding analogous (ii) with five years regular basis in the Rs. 5,400 or equiva (b) possessing follogous Educational Qualificational	ee in Computer Science or Electronics or Informat lecommunications from a recognised university or institute ence in handling of Information Technology Networks. Tement of experience is relaxable by the Central Government of the Selection Committee specified in column (13) case of candidates otherwise well qualified, for reasons			
	,		post held immediate organisation or dep years.	ely preceding artment of the	this appointne Central Gov	f deputation in another ex-cadr nent in the same or some othe vernment shall not exceed fiv	
	75		fifty-six years of age	as on the clos	or appointmen sing date for t	t by deputation shall not exceed the receipt of applications.	
						6	
(1						(14)	
t applicable. Re the competent nmittee consists Secretary or Spe National Disaste Advisor of conc National Disaste	authority of ing of: ecial Secretar er Manageme erned Techn	n the reco y, ent Author ical Division	on,	approval Selection Chairman –Member	No	t applicable .	
loint Secretary (

(13)

4. Joint Secretary (Administration and Coordination), National Disaster Management Authority

-Member

Note 1: The Selection Committee shall make their recommendations on the basis of personal interviews with the candidates, giving appropriate weightage, as may be determined by the Committee, to the educational qualifications, experience and Computer Knowledge of the candidates, their service record as well as their performance in the interview.

Note 2: When the number of applications received is large, the Selection Committee reserves the right to shortlist the candidates to be called for interview based on the criteria to be decided by the Committee.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	. (7)	
9. Duty Officer (Operations Centre)	2*(2009) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'	Rs- 15,600–39,100 Plus Grade Pay Rs. 6,600	Not applicable	No.	Not applicable	
(8)				(9)		(10)	
Not applica	able		Not a	applicable		Not applicable	
(11))			(12)		
By Deputation		Deputation: From amongst the officers of the Central Government or Defence Forces or Central Police Organisations or Police or State Governments or Union Territories;					
			(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;				
			ог				

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the post in the scale of pay of Rs. 9,300-34,800 plus Grade Pay Rs. 5,400 or equivalent in the parent cadre or department;

a n d

(b) possessing following educational qualifications and experience:

Educational Qualifications:

Bachelor's Degree in Science or Economics or Statistics or Defence Studies or Commerce or Business Administration or Degree in Engineering or Technology from a recognised university or institute or equivalent.

Experience:

Five years' experience in administration and operational areas, etc., in Defence Forces or Central Police Organisations or Police or Telecommunications.

Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed five years.

Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years of age as on the closing date for the receipt of applications.

-Member

Not applicable. Recruitment shall, however, be made with the approval of the competent authority on the recommendations of a Selection Committee consisting of:—

1. Secretary or Special Secretary,
National Disaster Management Authority
— Chairman

2. Advisor of concerned Technical Division,
National Disaster Management Authority
— Member

3. Joint Secretary (Administration Division)
in the Ministry of Home Affairs
— Member

4. Joint Secretary (Disaster Management Division)

National Disaster Management Authority — Member Note 1: The Selection Committee shall make their recommendations on the basis of personal interviews with the candidates, giving appropriate weightage, as may be determined by the Committee, to the educational qualifications, experience and Computer Knowledge of the candidates, their service record as well as their performance in the interview.

in the Ministry of Home Affairs

5. Joint Secretary (Administration and Coordination),

Note 2: When the number of applications received is large, the Selection Committee reserves the right to shortlist the candidates to be called for interview, based on the criteria to be decided by the Committee.

(14) Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. Senior Research Officer	9* (2009) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'	Rs. 15,600–39,100 Plus Grade Pay Rs. 6,600	Not applicable	No	35 years (Relaxable for Government se vants upto the age of fort years in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Schedule Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep.
9						

(0)

(9)

(10)

(A) Educational Qualifications:

(i) Master of Arts, or Master of Science or Bachelor of Veterinary Science or Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery or Bachelor of Technology or Bachelor of Engineering in the relevant field from a recognised university equivalent, or institute or equivalent degree,

O

(ii) Master of Philosophy or Master of Veterinary Science or Master of Technology in the relevant field from a recognised university or institute or equivalent, or equivalent degree,

O

(iii) Doctor of Philosophy or Doctor of Medicine or Master of Surgery in the relevant field from a recognised university or institute or equivalent, or equivalent degree.

(B) Experience:

- (i) five years' experience for those possessing educational qualification referred to in item (i) above.
- (ii) three years' experience for those possessing educational qualification referred to in item (ii) above.
- (iii) two years' experience for those possessing educational qualification referred to in item (iii) above.

Note: The exact nature of experience in the required area of disaster management shall be indicated in the advertisement for the relevant posts.

Not applicable

One year.

The probation period is extendable twice by a further period of maximum six months on each occasion.

(11)

50% by direct recruitment; 50% by deputation (including shortterm contract and deputation on absorption basis), failing which by direct recruitment. (12)

Deputation (including short-term contact and deputation on absorption basis): From amongst the officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Public Sector Undertakings or Recognised Academic or Research or Training Institutions, and Semi-Government or Statutory or Autonomous or Local Bodies;

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;

o r

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the post in the scale of pay of Rs. 9,300-34,800 plus Grade Pay Rs. 5,400 or equivalent in the parent cadre or department;

and

(b) possessing educational qualifications and experience prescribed under column(8):

Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed five years.

Note 2: The vacancies caused on account of the incumbents being away on deputation (including short-term contract) or on long illness or on study leave or due to any other reason for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central Government.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract and deputation on absorption basis) shall not exceed fifty-six years of age as on the closing date for the receipt of applications.

(13)

(14)

(A) The Departmental Selection Committee for recruitment shall consist of:—

Not applicable

 Secretary or Special Secretary, National Disaster Management Authority

—Chairman

 Advisor, National Disaster Management Authority (to be nominated by Vice Chairman, National Disaster Management Authority).

-Member

3. Joint Secretary (Disaster Management Division) in the Ministry of Home Affairs

—Member

 Joint Secretary (Administration and Coordination), National Disaster Management Authority

-Member

(B) The composition of the Departmental Promotion Committee (for confirmation of direct recruits) shall be same as above.

Note 1: The Departmental Selection Committee shall make their recommendations on the basis of personal interviews with the candidates, giving appropriate weightage, as may be determined by the Committee, to the educational qualifications, experience and Computer Knowledge of the candidates, their service record (wherever applicable) as well as their performance in the interview.

Note 2: Where the number of applications received is large, the Departmental Selection Committee reserves the right to shortlist the candidates to be called for interview, based on the criteria to be adopted by the Committee.

Note 3: The recommendations made by the Committees specified in this column shall be put up to the competent authority for approval.

[F. No. 44-19/2006-NDM-III(A)/IV]
O. RAVI, Jt. Secy.